आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
18/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 103/12** **जलेश्वर पांडे बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2195 दिनांक 24.7.12 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.1.12 को जिला स्तरीय जॉच दल सं0 15 के द्वारा जलेश्वर पांडे, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 54/2007 पंचायत–गंगौली, प्रखंड–मशरक, थाना–मशरक की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी: 1. दो माह से तीन माह में एक बार ही किरासन तेल की आपूर्ति । 2. दो लीटर से तीन लीटर पैंतालीस रूपया लेकर करना। 3. दो माह का कूपन जबरदस्ती लेना। विरोध करने पर मिलने वाला तेल भी नही देना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 528/गो0 दिनांक 19.3.12 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि उनके विरूद्ध प्रत्येक माह में किरासन तेल की आपूर्ति की गयी है। उनके द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा की	

आपूर्ति की जाती है। उपभोक्ताओं से जबरदस्ती कूपन लेना या विरोध करने पर तेल नहीं देने की बात सर्वथा गलत है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम अंकित नहीं किया गया है और न ही अपने आदेश में इसका उल्लेख किया गया है, जिस कारण से यह आदेश अपने आप में विधि–सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश एक speaking order नहीं है। जिला के द्वारा जॉच दल को दिए गए 31 बिन्दुओं वाले विहित प्रपत्र में जॉच प्रतिवेदन जॉच पदाधिकारी के द्वारा विधिवत् ढंग से भरकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्यक जॉच के बिना प्रेषित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गयी है, जो विधि–सम्मत् नहीं है। यह उचित होता कि विक्रेता को उनके दुकान से संबंधित पंजी एवं अन्य कागजात के साथ बुलाकर उनकी सुनवाई की जाती और यदि उनके कागजातों के संधारण में कोई अनियमितता पायी जाती, तो आवश्यक कार्रवाई की जाती, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 05/न्या० दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि — SDO मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / DIO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण